

प्रथम : फार्म भरने से पहले सेवाओं के बारे में जाने:

1. इस परीक्षा के माध्यम से, भारतीय विदेश सेवा, प्रशासनिक सेवा , भारतीय पुलिस सेवा और 21 केन्द्रीय सेवाओं, ग्रुप 'ए' तथा 'बी', में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं ।
2. परीक्षा फार्म में , सेवाओं के लिये अपना विक्लप देने से पहले, www.darpg.gov.in पर उपलब्ध 'सिविल सेवा रिपोर्ट 2010' को पढ़ें ।
3. अपने विक्लप में सारी सेवाएं न भरें । पहले अपनी इच्छाओं व क्षमताओं को परखें, और प्रथमिकता अनुसार, पाँच से दस तक सेवाओं को चुन कर उन की सूची बनाएं ।
4. सेवाएं चुनते समय अपनी निजि क्षमताओं को ध्यान में रखें ।
 - 4.1 उदाहरण के लिये, यदि भारतीय पुलिस सेवा चुनी है तो गैर समाजिक तत्वों आदि से जूझने की शरीरिक व मानसिक क्षमता भी अवश्य होनी चाहिये ।
 - 4.2 इसी प्रकार लगभग 600 जिलों में से 200 जिले एल डब्लू ई के आतंक की लपेट में है । अतः, नियुक्ति के बाद, कम से कम 200 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रथम तैनाती ऐसे ही जिलों में होगी ।
 - 4.3 भारतीय राजस्व सेवा 'सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन' ग्रुप 'क' के अधिकारियों को भी तसकरी करने वाले तत्वों से निबटना पड़ता है ।

- 4.4 प्राथमिकता की सेवाओं की अपनी सूची को, फार्म में भरने से पहले, उस की चर्चा परिवार जनों से भी कर लें
5. उसके बाद उन के मंत्रालयों की वैबसाइट देख कर, सेवाओं के बारे में अपनी जानकारी सुदृढ़ करें । इसके लिये www.indiaportal.gov.in पर जा कर 'केन्द्रीय सरकार' क्लिक करें , जहाँ सभी मंत्रालयों की वैबसाइट मिलेंगी । मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध 'नागरिक प्रपत्र' से उस की विभिन्न सेवाओं व कार्यलयों के बारे में जाना जा सकता है। इससे स्पष्ट होगा कि सेवाकाल में कहां कहां तैनाती होने की सम्भावना रहेगी ।
6. परीक्षा में चयन कें लिये 'कट औफ' अंक, उस वर्ष के लिये उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है । इस के बारे में वर्ष 2016 की परीक्षा अधिसूचना की परिशिष्ट 1 खण्ड 1 के पैरा 2 में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से बारह या तेरह गुना पात्रों को, जिन्होंने ने कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, प्रधान परीक्षा के लिए चुना जाएगा ।
7. प्रधान परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की संख्या से दुगनी संख्या के पात्रों को साक्षातकार के लिये बुलाया जाता है । प्रधान परीक्षा व साक्षातकार के कुल अंकों के योग के आधार पर अन्तिम सूची बनती है, और कुल रिक्तियों की संख्या पर सूची बन्द हो जाती है ।

अतः इस परीक्षा में सफल पात्र और असफल पात्र में केवल एक अंक का अन्तर होता है । इसलिये, इस परीक्षा में असफलता के लिये मानसिक स्तर पर तैयार रहना चाहिये, ताकि परिणाम आने के बाद निराशा हावी न हो सके ।

भारत सरकार की सेवाओं की सूची, जिन में नियुक्तियाँ सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर होती हैं, और उन सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक मंत्रालय:

सूची 1 अखिल भारतीय सेवाएं केवल पहली दो हैं

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : प्रशासनिक, पैन्शन, एवं लोक शिकायत मंत्रालय ।
2. भारतीय पुलिस सेवा : गृह मंत्रालय ।
3. भारतीय विदेश सेवा : विदेश मंत्रालय ।

सूची 2 केन्द्रीय सेवाएं:

4. भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप 'क', डाक तार विभाग ।
5. भारतीय लेखा परीक्षा और वित्त सेवा ग्रुप 'क' सी ए जी ।
6. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप 'क' , वित्त मंत्रालय ।
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप 'क' : रक्षा मंत्रालय ।
8. भारतीय राजस्व सेवा 'आयकर' ग्रुप 'क' वित्त मंत्रालय
9. भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप 'क', 'सहायक कर्मशाला प्रबंधक, प्रशासनिक' रक्षा मंत्रालय ।
10. भारतीय डाक सेवा ग्रुप 'क' डाक तार विभाग
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप 'क' वित्त मंत्रालय
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा ग्रुप 'क' रेल मंत्रालय
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा ग्रुप 'क' रेल मंत्रालय
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ग्रुप 'क' रेल मंत्रालय

15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद | रेल मंत्रालय
16. भारतीय रक्षा संपदा सेवा ग्रुप 'क' रक्षा मंत्रालय
17. भारतीय सूचना सेवा 'कनिष्ठ ग्रेड' ग्रुप 'क' दूरसंचार मंत्रालय
18. भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप 'क' ' ग्रेड 3 वाणिज्य मंत्रालय
19. भारतीय कारपोरेट विधि सेवा ग्रुप 'क' कारपोरेट विधि मंत्रालय
20. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप 'ख' अनुभाग अधिकारी ग्रेड , गृह मंत्रालय ।
21. दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख', गृह मंत्रालय ।
22. दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप व दीव एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख', गृह मंत्रालय ।
23. पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' , गृह मंत्रालय ।
24. पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख', गृह मंत्रालय ।

द्वितीय : सामान्य जानकारी

1. भारत में स्पर्धीय परीक्षा के आधार पर स्थायी सिविल सेवा, वर्ष 1854 में आरम्भ हुई ।
2. वर्ष 1950 के बाद सिविल सेवा के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं :
 - 2.1 राष्ट्रीय स्तर पर खुली परीक्षा ।
 - 2.2 विस्त्रित प्रशिक्षण ।

2.3 सेवाकाल में स्थायीत्व ।

2.4 राष्ट्र के मुख्य पद, केन्द्र, राज्य व जिला स्तरों पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर ही भरा जाना ।

2.5 वरीयता और कार्य के आधार पर पदोन्नती ।

2.6 वेतन व पैंशन का निर्धारण एक समयबद्ध ग्रेड वेतन स्केल के अनुसार किया जाना ।

3 सेवाओं का वर्गीकरण

3.1 सिविल सेवाओं को तीन मुख्य वर्गों में बाँटा गया है ।

3.2 वे सेवाएं जिनके अधिकारी केन्द्र व राज्यों में तैनात होते हैं। इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं । ऐसी केवल तीन सेवाएं हैं, यानि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा । पहले, इन तीनों सेवाओं में भरती, सिविल सेवा परीक्षा से होती थी, पर अब भारतीय वन सेवा की मुख्य परीक्षा अलग होती है लेकिन प्रवेश परीक्षा तीनों की एक ही है ।

3.3 ऐसी सिविल सेवाएं जिन के अधिकारी केवल केन्द्र सरकार में तैनात होते हैं । इनकी संख्या 21 है और ये उपर्युक्त सूची 2 के अनुसार हैं ।

3.4 प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी प्रशासनिक सेवा होती है, जिनकी परीक्षा राज्य सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाती है ।

4 **क्षमता ढ़ाँचा** : इस में जवाबदेही, पारदर्शीता , समानता, सबकेलिये समदृष्टि , कानून को प्रथमिकता , नागरिकों को प्राथमिकता, इफ़ैकटिवनैस , ऐफिशियनसी , इथौस , बातचीत करने की क्षमता, संस्थान की जानकारी व संस्थान के प्रति समर्पण , टीम के साथ चलने की क्षमता, स्ट्रैटिजिक सोच,

आत्मविश्वास, स्वनियंत्रण, स्थिति में विवरण देखने की दृष्टि, निर्णय लेने की क्षमता मुख्य हैं ।

5 विभिन्न सिविल सेवाओं में कहाँ कहाँ नियुक्तियाँ सम्भव हैं :

5.1 तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, किसी एक राज्य के संवर्ग में आवंटित कर दिये जाते हैं, और अपने पूरे सेवा काल में वे उसी राज्य के विभिन्न जिलों में, तैनात होते हैं । प्रथम 10 से 15 वर्षों में उन की सेवाएँ पूर्ण रूप से अपने संवर्ग की राज्य सरकार के लिये होती हैं । उसके बाद वे केन्द्र में नियुक्त हो सकते हैं ।

इसके अलावा, आठ वर्ष के सेवाकाल के बाद, उपलब्ध केन्द्रीय डैप्यूटेशन स्कीम के अर्न्तगत चयन होने पर, वे 3 वर्षों के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों में तैनात हो सकते हैं ।

5.2 जो विदेश सेवा के लिये चुने जाते हैं उन की सेवा का नियंत्रण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है । उन्हें विश्व के एक क्षेत्र में आवंटित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र की भाषाएँ उन्हें सीखनी पड़ती हैं , ताकि उस क्षेत्र के किसी भी देश में तैनाती होने पद कोई परेशानी न हो । इन अधिकारियों को अपना अधिकतम सेवाकाल विदेशों में भारतीय एमबैसीयों में ही व्यतीत करना होता है ।

5.3 केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी , अपनी अपनी सेवा के नियंत्रक मंत्रालय के नियंत्रण में रहते हैं, और उसी मंत्रालय के मुख्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयों में तैनात होते हैं ।

5.4 केन्द्र प्रशासित क्षेत्र सेवाओं के अधिकारी अपनी सेवा के प्रशासित क्षेत्र में ही तैनात होते हैं, और गृह मंत्रालय इनका संवर्ग नियंत्रण मंत्रालय है ।

- 5.5 प्रत्येक सेवा के आगे दिये नियंत्रण मंत्रालय द्वारा ही सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति , तैनाती , वेतनवृद्धि, पदोन्नती, अवकाश केलिये स्वीकृति आदि पर निर्णय लिया जाता है । सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की कार्यवाही भी उसी मंत्रालय से होती है ।
- 5.6 सभी सेवाओं के अधिकारियों को अपनी सेवा से सम्बन्धित आचरण नियमों के अनुरूप व्यवहार करना होता है। इनके उलगांघन पर प्रशासनिक कार्यवाही होती है ।
- 6 सेवा के प्रथम दो वर्ष, प्रोबेशन के होते है । इन वर्षों में यदि व्यक्ति निधारित प्रशिक्षण और अपना कार्य, संतोषजनक स्तर पर पूरा नहीं करता, तो दो वर्षों के अन्त में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।
- 6.1 इस अवधि में सभी को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, में 26 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करना होता है ।
- 6.2 उस के बाद 54 सप्ताह का प्रशिक्षण जिले में या अपनी अपनी सेवाओं की अकादमी में पूरा करना होता है। पुलिस सेवा की अकादमी हैदराबाद में है और लेखा सेवाओं की इलाहबाद में है। रक्षा मंत्रालय के आधीन सेवाओं की प्रशिक्षण अकादमीयां विभिन्न स्थानों पद हैं । अन्य सेवाओं की प्रशिक्षण अकादमीयाँ अधिकतर दिल्ली या आसपास हैं ।
- 6.3 दो वर्षों के अन्तिम 8 सप्ताह में सभी को सैमिनार में भाग लेना , विदेश में प्रशिक्षण में भाग लेना और अपने दो वर्षों के अनुभव के बारे में रिपोर्ट देना अनिवार्य हैं ।

6.4 शेष सेवाकाल में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2005 और 2012 के अर्न्तगत, प्रत्येक अधिकारी के लिये 9 वर्ष, 16 वर्ष, और 28 वर्ष के पड़ाव पर प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

7. संक्षेप में कहें तो कड़ी स्पर्धा की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद पूरे सेवा काल में सभी अधिकारियों के लिये, लगातार सीखने व अपनी कार्य क्षमता को सुधारते रहने की आवश्यकता स्पष्ट है ।

अतः इन सेवाओं की परीक्षा के लिये फार्म भरने से पहले, प्रतिदिन की मेहनत के लिये अपनी क्षमता को देख लेना जरूरी है । इन सेवाओं में घर और कार्य में संतुल रख पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष कर सेवाकाल के प्रथम दस वर्षों में ।

डिसक्लेमर: उपर्युक्त दी गई जानकारी, 2016 तथा 2017 फरवरी तक, भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइटों से ली गई जानकारी पर, आधारित है ।

